

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
30 AUG 2016
गाजीपुर

BW 356246

Handwritten signature and text: रामउग्र सिंह, न्यास विलेख

श्री प्रहलाद मेमोरियल ट्रस्ट, हरपुर जमानियों-गाजीपुर

मैं रामउग्रह सिंह [उम्र-56] पुत्र स्व. प्रहलाद सिंह यादव साकिन हरपुर पोस्ट जमानियों कस्बा तहसील जमानियों जिला गाजीपुर (उप्र) जो कि पश्चात ट्रस्ट के संस्थापक/न्यासकर्ता के रूप में उल्लिखित हैं। आज दिनांक 09/09/2016 को ट्रस्ट के घोषणा पत्र को निष्पादित कर रहा हूँ-

मेरी (रामउग्रह सिंह यादव) यह हार्दिक अभिलाषा है कि मैं अपने पुज्य पिता स्व. प्रहलाद सिंह यादव की स्मृति में क्षेत्र के सर्वांगीण विकास, जन कल्याण, शैक्षिक स्वास्थ्य सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक विकास एवं समाज में उत्तम व आदर्श गुणों को स्थापित करने के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की इच्छा काफी दिनों से रही है। ट्रस्ट के गठन हेतु यह निवेदन भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अन्तर्गत पंजीकृत करने हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ।

न्यास के उद्देश्यों इस ट्रस्ट की धारा-5 मुख्य उद्देश्यों में वर्णित समस्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आवश्यक समस्त साधनों-उपसाधनों का संग्रह किया जाये इसके निमित्त मैं रु० 2,01,000/- प्रदान करता हूँ।




राम उग्र सिंह



5084 6-9-16

5000

Handwritten notes including "MID EYE" and "10 YEARS TIME USED".



Handwritten notes next to the first portrait, including "5000" and "10/16/16".



Handwritten notes next to the second portrait, including "5000" and "10/16/16".



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

व्यक्तिगत प्रकोप प्रमाणिका URADESH

AR 817796

23 AUG 2016

गाजीपुर

2
इसके अंतर्गत समस्त आय ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति में बिना किसी पर्याप्त के सर्व कल्याणकारी
प्रकार की होगी इसमें कोई भी ऐसा कार्य सम्मिलित नहीं होगा जिसमें इस ट्रस्ट के किसी ट्रस्टी
को अहित या नुकसान उत्पन्न करना अभिप्रेत हो।

1. न्याया का नाम : श्री प्रहलाद मोनोरियल ट्रस्ट, हरपुर जमानियों गाजीपुर।

2. ट्रस्ट का कार्यालय : ट्रस्ट की पंजीकृत कार्यालय निम्न पते पर स्थित है-

घाई नं०-19 हरपुर पोस्ट जमानियों कनका लहरील जमानियों
गाजीपुर (उ०प्र०) पिन कोड- 232329

3. ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र : ट्रस्ट का कार्य क्षेत्र सम्पूर्ण भारत वर्ष होगा।

नोट- आवश्यकतानुसार उपरोक्त कार्यालय को अन्य उचित स्थान
पर समयानुसार स्थानान्तरित किया जा सकेगा व ट्रस्ट के उपर
कार्यालयों की स्थापना समय-समय पर बोर्ड आफ ट्रस्टी की बैठक
में तय करने के उपरांत भारतीय में कही भी की जा सकती है।

4. ट्रस्ट की विधिक प्रतिबद्धता : श्री प्रहलाद मोनोरियल ट्रस्ट, हरपुर जमानियों गाजीपुर



23/08/2016





वर्ल्ड प्रोवाइडर्स TRADESH
 23 AUG 2016
 गाजीपुर

AR 817797

3
 (30990) भारतीय न्यास अधिनियम-1882 के अन्तर्गत निष्पादित किया जा रहा है। इस न्यास पर भारतीय न्यास अधिनियम-1882 की वे समस्त धारा, नियम उपनियम लागू होंगे जो इस न्यास के संचालन हेतु आवश्यक है जो न्यायिक विभाग में व्यवहृत व मान्य है यह न्यास उक्त नियमों के अनुपालन हेतु प्रतिबद्ध है।

5. ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य : ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है :-

1. विद्यार्थियों में उनके व्यक्तित्व का सर्वांगिन विकास तथा उनमें (स्वावलम्बन, राष्ट्र भक्ति एवं विश्व वन्द्यत्व की भावना जागृत करना व विद्यार्थियों में चारित्रिक, मानिस तथा औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित करना)।
2. प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल, हाई स्कूल, इण्टर कालेज, डिग्री कालेज, लॉ कालेज, बी०टी०सी०, बी०ए०, गर्ल्स कालेज आदि शैक्षणिक व प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना व उनका संचालन करना।

21/11/2016 लि. १



5085

2084

1000

6-9-16

[Handwritten signature]

वारी

Registration No.

30

Year

2016

Book No.

4

0101

वारी वारी

वारी वारी वारी

वारी वारी वारी वारी वारी वारी वारी





4

राष्ट्रीय सेवा योजना
23 AUG 2016
गाजीपुर

UPRADESH

AR 817798

3. तकनीकी, गैर तकनीकी, औद्योगिक, वोकेशनल व विद्विस्ता से संबंधित प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करना।
4. प्रौढ़ शिक्षा, व्यवसायिक शिक्षा हेतु शिक्षण संस्थान की स्थापना करना।
5. पुस्तकालय व वाचनालय स्थापित करना।
6. विभिन्न खेलों के प्रति विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना।
7. साहित्य कला और भारतीय संस्कृति के उत्थान हेतु निबंध, वाद-विवाद, कला व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं का आयोजन करना।
8. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार-प्रसार करना।
9. एडस के बारे में जन जागरण हेतु प्रचार-प्रसार करना।
10. बच्चानों के उत्थान हेतु एवं कृषि सुधार हेतु कार्य करना।

21/8/2016 किं०



5084 5084

1000

6-9-16

[Handwritten signature]

मु० मेराज साहू
जन्म तिथि 31 मार्च 20 20
पता - [unclear] जिला - [unclear]

Registration No.: 50

Year: 2016

Book No.: 4

W1 वास्तव्य करण
राजसेवक
इग्नोर जमानिया कस्बा पो ब तडड जमानिया जिला राजीपुर
बन



W2 पञ्चायत विह करण
एड मिशन विह करण
इग्नोर जमानिया कस्बा पो ब तडड जमानिया जिला राजीपुर
बन



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
व्यक्ति का अधिकारी

23 AUG 2016

गाजीपुर

AR 817799

- 5
11. ट्रस्ट भूमि, भवन की पूंजी की व्यवस्था कर देश-प्रदेश के किसी भी स्थान पर अपने उद्देश्यों में वर्णित संस्थाओं की स्थापना करके शिक्षा के माध्यम से निर्बल, माध्यम व दलितों को आत्मनिर्भर कर उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठायेगा।
 12. ट्रस्ट दैवीय आपदा में जिला व राज्य प्रशासन का आवश्यकतानुसार सहायता करेगा।
 13. सरकारी, अर्द्धसरकारी भूमि पर जिला व राज्य प्रशासन से समन्वय स्थापित कर कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करेगा।
 14. किसी निजी भूमि को कय-विकय करना तथा आवश्यकतानुसार इस ट्रस्ट से संचालित संस्था को लीज (पट्टा) पर देना।

2016 31/8/2016



5088

5054

1000

6-9-16

[Handwritten signature]





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105965

15. संस्था को आगे बढ़ाने के लिए 12A, 80G, 10/23 व 35 एक्ट के अन्तर्गत मिलने वाली सुविधाओं को प्राप्त करना।
16. सरकार द्वारा चलाई जाने वाली परियोजनाओं को जनता के हित में संचालन करना एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पीड़ित लोगों को लाभान्वित करना।

17. ट्रस्ट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी बैंक से ऋण ले सकता है अपनी सम्पत्ति को गिरवी रख सकता है। साथ ही आवश्यकता पड़ने पर ऋण दे सकता है।



5089 5084
6-9-16
मु० मेराज खा
जन्म दिनांक 31 मार्च 2000
पता: [unclear] गाजीपुर

गारुड कोंपाधिकारी
08 AUG 2018
गाजीपुर



भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105966

19. बहुत गरीब परिवार से सम्बन्धित छात्र-छात्राओं तथा विकलांग बच्चों को मुक्त या रियायती शिक्षा प्रदान करना।

20. गरीब, दलित, विकलांग एवं बेसहारा महिलाओं बुजुर्गों, सैनिकों, विधवाओं एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के बच्चों को विकास एवं संरक्षण तथा पालन हेतु शिक्षा, भित्तिज्ञा व रोजगार की व्यवस्था करना।

21. स्कूलों, कलेजों, विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं को अन्य उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन के सम्बन्धित शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने व उनके संचालन सम्बन्धित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के साथ-साथ सरकारी मदद व मान्यता प्राप्त करने के सम्बन्धित सलाह प्रदा करेगी।

22. आम जनता के उपयोग के लिए कम्युनिटी हाल, बाल आश्रम, अनाथ आश्रम, विधवा आश्रम, वृद्धाश्रम, महिला



21/11/2018



5080

5084

50

6-9-16

[Handwritten Signature]

नु० मेराल खी

...

वरिष्ठ कोषाधिकारी

* * * * *

09 AUG 2016

* * * * *

गाजीपुर



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105967

B

आश्रम, ध्यान मैडिटेशन, आश्रम व योग व्यायाम आश्रम, वाटर पार्क, कृषि शिक्षा केंद्र खेती, प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र, साधन केंद्र, हास्टल, संगीतालय, नृत्यालय, अनाथालय, सौचालय, बालवाणी, आगनबाड़ी, प्याऊ, वाचनालय, पुस्तकालय, डिस्पेन्सरी, हास्पिटल, मेडिकल कालेज, स्टेडियम और रात्रि निवास आदि का निर्माण करना व इनका संचालन करना।

23. अंगो, गुंगो व बहरो, मानसिक शारीरिक विकलांग, वृद्धों के लिए पूर्णवास योजना चलाना।

24. प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, भूकम्प या तूफान आदि के समय पीड़ितों को चिकित्सा, भोजन, आवास, यातायात व अन्य सामग्री मुहैया कराना और हर समय सहायता प्रदान करना।

25. खेलकूद, शिक्षा, राजनीति, समाज सेवा, व कला आदि के क्षेत्र में विशेष प्रतिभावान महिलाओं, पुरुषों व बच्चों

21/11/2016 ई



5090 5084

50
6-9-16

मु० मेराज खान
कम नंबर 31 प्लॉट 2020
1900 जयसिंह वि०-गाजीपुर

वारंट कीयाधिकारी		
*	08 AUG 2018	*
*	गाजीपुर	*



3
भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105968

को सार्वजनिक रूप से सम्मानित करना तथा एवार्ड व प्रशस्तिपत्र देना।

26. राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं को आर्थिक व तकनीकी सहायता प्राप्त करना।

27. समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर आयोजन करना।

28. समाचार पत्र, पत्रिका, पुस्तकें व सोवियर प्रकाशित करना व इनके निर्माण की व्यवस्था करना।

29. कन्याओं की शूल छेड़ने की दिशा में जागरूकता अभियान चलाना।

30. अन्य ऐसे सभी न्यायसंगत कार्य करना जो उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में सहायता / प्रासंगिक है।

21/11/2025



5082 5084

6-9-16
मु. 0 मेराज (अ) वि. नं. 21
दि. 08.08.2016

वरिष्ठ कृषि अधिकारी
08 AUG 2016
गाजीपुर



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105969

10

6. ट्रस्ट/न्यास का स्वरूप- ट्रस्ट के गठन हेतु मुख्य ट्रस्टी सभित जघोतिखित व्यक्ति ट्रस्ट के सदस्य ट्रस्टी होंगे-

क्र. सं.	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	पेशा
1	रामउग्रह सिंह यादव	स्व. प्रहलाद सिंह यादव	हरपुर, जमानिया गाजीपुर	मुख्य संस्थाक ट्रस्टी	समाज सेवक
2	प्रकाश यादव	श्री रामउग्रह यादव	हरपुर, जमानिया गाजीपुर	सदस्य ट्रस्टी	समाज सेवक
3	अरवनी कुमार	स्व. प्रहलाद यादव	हरपुर, जमानिया गाजीपुर	सदस्य ट्रस्टी	कृषि
4	श्रीमती अनुराधा यादव	स्व. अंजनी यादव	हरपुर, जमानिया गाजीपुर	सदस्य ट्रस्टी	गृहणी
5	प्रमोद यादव	श्री दयाराम सिंह यादव	पिकनिक गार्डन रोड कोलकाता, W.B.	सदस्य ट्रस्टी	नीकरी
6	प्रसान्त मिश्रा	श्री सन्तोष कुमार मिश्रा	देवरिया गोरखपुर	सदस्य ट्रस्टी	नीकरी
7	जसकमलजीत सिंह	श्री सरदार जपिंदर सिंह	जालंधर, पंजाब	सदस्य ट्रस्टी	नीकरी

राम उग्रह सिंह



5093 5084

50

6-9-16

मु० मे० राज जी (क० न० 21)

जन्म 21 अगस्त 1920 गाजीपुर
राज्य उत्तर प्रदेश

[Handwritten signature]

डा. ए. जे. कोटाधिकारी

* 09 AUG 1916 *
* गाजीपुर *



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50

FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105970

11

उपरोक्त न्यासीगण आजीवन इस ट्रस्ट के न्यासी बने रहेंगे जब तक की इनमें कोई संशोधन या बदलाव नहीं लाया जाये।

7. ट्रस्ट के सदस्य- ट्रस्ट की धारा 8 में उल्लिखित सदस्य ट्रस्टी के अलावा अन्य सदस्य

ट्रस्टियों की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों के बैठक द्वारा निर्धारित नियम/व्यवस्था के अनुसार किया जायेगा।

8. न्यास/ट्रस्ट के सदस्यों के सदस्यों के सदस्यता की समाप्ति-

ट्रस्टी सदस्यों

ट्रस्ट के किसी ट्रस्टी सदस्य की सदस्यता निम्न आधार पर के बहुमत से जिसमें मुख्य संस्थाक ट्रस्टी की सहमति आवश्यक है समाप्त किया जा सकेगा।

21/11/2018



5094 5083

30

6-8-16

[Handwritten signature]

अरिष्ट कोषाधिकारी	
09 AUG 2018	
गाजीपुर	





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105971

12

1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र प्राप्त होने पर।
5. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।
6. नैतिक अपराध पर न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।

9. रिक्त स्थानों की पूर्ति—सम्पन्न सभा/प्रबन्धकारिणी समिति में किसी भी सदस्य

का स्थान रिक्त होने पर मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की सहमति

से योग्य व्यक्तियों के द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति की जायेगी।

10. संशोधन/नियुक्ति का पंजीयन—

न्याय क्लेस में किसी भी प्रकार का संशोधन या नियुक्ति का पंजीयन सब रजिस्ट्रार जमानियों के यहाँ मुख्य संरक्षक ट्रस्टी या उनके द्वारा नियुक्त सदस्य ट्रस्टी/व्यक्ति द्वारा कराया जा सकेगा।



2178 336 सिई



5095

5084

50
69-16

सु० मेराज खी

वरिष्ठ कोषाधिकारी

09 AUG 2019

गाजीपुर



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105972

13

11. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य -

(अ) मुख्य संरक्षक ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य -

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) के सभी शाखाओं एवं उप शाखाओं तथा जुड़ी हुई संस्थाओं के सदस्यों को आवश्यक निर्देश देना।
2. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी (न्यास) द्वारा के कार्यहित में किए जाने वाले निर्णय सर्वमान्य होंगे।
3. ट्रस्ट के साधारण सभी एवं प्रबंधकारिणी समिति के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना।
4. किसी भी विचारणीय विषय पर समानता होन पर एक निर्णायक मत देना।
5. आवश्यक कार्यजाल पर हस्ताक्षर करना एवं कार्यान्वित करना।

21/11/2018 दिनांक



5098 5054
6-9-16
मु० मेराज खी
गाजीपुर

धरिष्ट कांथाधिकारी
* * * * *
08 AUG 2018
* * * * *
गाजीपुर



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105973

14

6. ट्रस्ट के विकास से सम्बन्धित कार्यकर्मों का परामर्श देना व कार्यकर्मों का निर्धारण करना।

7. ट्रस्ट के बाह्य एवं अन्तर्गत नीतियों का निर्धारण करना एवं ट्रस्ट के विकास के लिए तमाम संसाधन इकट्ठा करना व ट्रस्ट के विकास के लिए तमाम संसाधन को तत्सम्बन्धित कार्यवाही से अवगति करना।

8. मुख्य संस्थाक ट्रस्टी संस्थाओं के लिए भूमि, भवन का कय-अथवा-लीज (पट्टा) करना व आवश्यकतानुसार संस्था की भूमि/भवन का विक्रय करना अथवा लीज (पट्टा) पर देना एवं वादों के निस्तारण की पैरवी करना।

9. ट्रस्ट के अन्य सदस्य चुनने बनाने एवं सदस्य ट्रस्टीयों की पदोन्नति एवं हटाने करने का अधिकार मुख्य संस्थाक ट्रस्टी सेना।



21/11/2014 सिंह



5097 5084

50

6-9-16

10

[Handwritten signature]

वरिष्ठ कोषाधिकारी	
* * *	08 AUG 2018
* * *	गाजीपुर
* * *	



भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON-JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105974

15

10. ट्रस्ट की उन्नति हेतु विभिन्न विभागों के समन्वय स्थापित कर योजनाएँ प्रस्तुत करना तथा ट्रस्ट के हित में समस्त प्रकार के कार्यों का सम्पादन करना।

11. अन्य सभी अधिकारों का प्रयोग करना जो नियमानुसार ट्रस्ट के लिए लाभदायक हो।

12. ट्रस्ट न्यास के अंग -- ट्रस्ट के निम्नलिखित अंग हैं--

(1) साधारण सभा

(2) प्रबंधकारिणी समिति

(1) साधारण सभा --

(अ) गठन --

साधारण सभा के अधिकतम 15 सदस्य होंगे जिसमें अभिलेख की धारा 8 में उल्लिखित व्यक्ति भी सम्मिलित

21/11/2018 दिनांक



5098 5084

50
6-9-16

मु० मेराज सी (मन २१)
[Handwritten Signature]

वरिष्ठ कोषाधिकारी
11 AUG 2011
गाजीपुर



भारतीय नैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105975

16

होंगे यानि अभिलेख की धारा 6 में उल्लिखित व्यक्तियों को मिलाकर अधिकतम 15 सदस्य होंगे।

(ब) बैठक— निम्नादिष्ट दो बैठकें होंगी —

1— सामान्य बैठक—

ट्रस्ट के साधारण सभों की सामान्य बैठक वर्ष में एक बार मार्च माह के प्रथम सप्ताह में होगी।

2— विशेष बैठक—

आवश्यकता पड़ने पर प्रधान न्यासी साधारण सभों की विशेष बैठक बुला सकता है।

(क) सूचना अधि—

साधारण स्थिति में मुख्य संरक्षक/प्रधान न्यासी एक सप्ताह के पूर्ण बैठक बुला सकता है। विशेष



21/11/2018



5093

5084

16
 श्री 0 मेराज खा...
 ...
 ...

वरिष्ठ कोषाधिकारी
 03 AUG 2018
 गाजीपुर



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BX 105976

17

परिस्थिति में 24 घण्टे की सूचना पर साधारण सभी के ट्रस्टियों को बैठक बुलाई जा सकती है। बैठक की सूचना दूरभाष/सूचना रजिस्टर के माध्यम से दिया जायेगा।

(ख) गणपूर्ति -

बैठक में सदस्यों-की गणपूर्ति का कोरम साधारण समा के सदस्यों व न्यासीगणके कुल संख्याका 2/3 अनिवार्य होगा।

(ग) ट्रस्ट के ~~सदस्यों~~ समा के कर्तव्य - साधारण समा के ट्रस्टियों के निम्नलिखित कर्तव्य होंगे -

1. मासिक आय-व्यय बजट चेक करना।

21/11/2016 दिने



5699

5082

50

6-9-16

[Handwritten signature]

20

<p>धरिष्ट कोषाधिकारी</p>	
<p>★</p>	<p>08 AUG 2016</p>
<p>★</p>	<p>गाजीपुर</p>
<p>★</p>	<p>★</p>



भारतीय न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105977

18

2. ट्रस्ट (न्यास) के विकास के हेतु अगले वर्ष के लिए योजना एवं बजट निश्चित करना।
3. प्रधान न्यासी को विभिन्न कियों पर उचित सहाय देना।
4. वार्षिक रिपोर्ट पास करना।

(2) प्रबंधकारिणी समिति -

(क) गठन -

अभिलेख की धारा-6 के अस्तित्वित व्यक्तियों द्वारा प्रबंधकारिणी समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष मुख्य संरक्षक/ प्रधान ट्रस्टी होगा।

(ब) बैठक - निम्नांकित दो बैठकें होगी-

1- सामान्य बैठक-

2- 31/12/18



5100 5083

6-9-16

मु. नं. ११११११

वरिष्ठ कौषाधिकारी
* * *
08 AUG 2016 * * *
गाजीपुर * * *



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105978

19

सामान्य स्थिति में ट्रस्ट मुख्य संरक्षक संस्थापक

ट्रस्टी की अनुमति से बैठक बुलायेगा।

2- विशेष बैठक -

विशेष बैठक बुलाने का अधिकार मुख्य
संरक्षक ट्रस्टी के पास होगा।

(स) सामान्य स्थिति -

सामान्य स्थिति में मुख्य संरक्षक ट्रस्टी एक सप्ताह
के सूचना पर प्रबंधक ट्रस्ट समिति की बैठक
बुला सकता है। विशेष स्थिति में 24 घंटे पहले।

13. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी/अध्यक्ष/मेनेजिंग ट्रस्टी पर का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण-



31/11/2018 दिने



5102

50874

50
 6-9-16
 म. 0 मेराज खी 100 रु. 40
 म. 0 मेराज खी 100 रु. 40
 म. 0 मेराज खी 100 रु. 40

वरिष्ठ कोषाधिकारी
 * * * * *
 08 AUG 2018
 * * * * *
 गाजीपुर



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105979

20

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का कर्तव्य है कि यह अपने जीवन काल में अपने उत्तराधिकारी मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की व्यवस्था कर दें।
2. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी अपने जीवन काल में ही मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी, यह व्यवस्था सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड केसके अर्थात् अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अंततः मुख्य संरक्षक ट्रस्टी कौन होगा? मुख्य संरक्षक ट्रस्टी अपने अपने जीवन काल में की गयी वसीयत/इच्छा पत्र की अंतिम रूप से मान्य होगा।
4. यह कि स्पष्ट किया जाता है कि यदि मुख्य संरक्षक ट्रस्टी अपने जीवन काल में अपनी कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनः विचार नहीं कर सकेगा।



21/11/2018 सिंह



5708 5084
SD
6-9-16
10 म
20

वरिष्ठ कोषाधिकारी
* * * * *
09 AUG 2016
* * * * *
गाजीपुर



भारतीय नैऋत्याधिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON-JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105980

21

14. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का विशेषाधिकार -

मुख्य संरक्षक ट्रस्टी को अधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत सदस्य ट्रस्टी/उत्तराधिकारी/कार्यस्त कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/संशोधन कर सकता है। मुख्य संरक्षक ट्रस्टी ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है। सभी सम्बन्धित पक्षों को अंतिम रूप से मान्य व स्वीकार्य होगा।

15. उपाध्यक्ष की नियुक्ति-

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी ट्रस्ट के प्रतिदिन के कार्यों को देखभाल करने के लिए एक उपाध्यक्ष की नियुक्ति कर सकेगा व उनके कार्य व अधिकार को निर्धारित कर सकेगा।
2. उपाध्यक्ष मुख्य संरक्षक ट्रस्टी के इच्छा तक कार्य करेगा। मुख्य संरक्षक ट्रस्टी किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उपाध्यक्ष



अथ 3/1/2018



5104 5084

50
6-9-16
मु.सं.रा.सं. 5084
81

धरिष्ट कोषाधिकारी
08 AUG 2016
गाजीपुर



भारतीय नगर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105981

22

के कार्यों में असंतुष्ट होने पर उपाध्यक्ष पद पर कार्यरत व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनत्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा चक्का पद पर कार्यरत व्यक्ति को हटा सकता है व चक्का पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है अथवा उनके अधिकार को किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

16. सचिव/उपसचिव की नियुक्ति-

1. मुख्य संरक्षक ट्रस्टी ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को संचालित करने के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर उपसचिव की नियुक्ति कर सकता है व उनके कार्य व अधिकार को निर्दिष्ट कर सकेगा।
2. सचिव/उपसचिव के कार्य में असंतुष्ट होने पर मुख्य संरक्षक ट्रस्टी किसी भी समय बिना कोई कारण बताये सचिव/उपसचिव पद पर कार्यरत व्यक्ति के विरुद्ध



21/07/2024 (दि)



5105 5184

6-9-16
मुठमराज खो
जन्मदिनांक 31-10-20-20-19-20
गाजीपुर

वरिष्ठ कोषाधिकारी
08 AUG 2016
गाजीपुर



भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

₹.50

FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105982

23

प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा
उक्त पर दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है अथवा उनके
अधिकारों को किसी भी व्यक्ति को हस्तान्तरित कर सकता है।

17. उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य -

मुख्य संरक्षक ट्रस्टों की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति
से अध्यक्ष द्वारा बताये गये विषय पर विचार-विमर्श हेतु बोर्ड आफ
ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना
अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

18. सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य -

ट्रस्ट के सचिव के निम्नलिखित कर्तव्य एवं अधिकार हैं-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही
करना।

21/11/2023 ई



S106

S189

69-16
काजीपुर

वरिष्ठ कौषाधिकारी
08 AUG 2018
गाजीपुर



भारतीय नैऋत्यायिक

पचास
रुपये

रु. 50

FIFTY
RUPEES

Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BK 105983

24

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी क्रियाकलापों एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति एवं मुक्ति तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुमति से कर सकता है।
4. विभिन्न कार्यकलापों के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रकृष्टी/विभाग केन्द्र/संस्थाओं/उपसंस्थानों का गठन कर सकता है एवं उनके संयोजकों/निर्देशकों/पदाधिकारियों आदि के नियुक्तन हेतु आवश्यक नियम/अनियम मुख्य संरक्षक ट्रस्टी के अनुमति से बना सकता है।
5. ट्रस्ट को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुमति से समिति गठित करना।
6. प्रसार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/विक्रय की सर्वांग व्यवस्था करना।



21/11/2018



5107

5184

30

6-9-16

50#

2016

20

वरिष्ठ कोषाधिकारी

*

*

*

09 AUG 2016

*

*

*

गार्जीपुर



भारतीय गैर न्यायिक



INDIA NON JUDICIAL

क्रमांक 30AA/140200

25

30AA 140200

7. जनमानस के कल्याणार्थ विभिन्न कार्यक्रम आयोजन करना।

19. ट्रस्ट (न्यास) का कोष-

1. श्री प्रधानमंत्री मंत्रालय ट्रस्ट, हस्तुन जननिधि गाजीपुर के पास रु0 2,01,000-00 प्रारम्भिक कार्य हेतु उपलब्ध है। ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोष की स्थापना की जायेगी। ट्रस्ट का खाता किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में खोला जा सकेगा। जिसका संचालन मुख्य संरक्षक ट्रस्टी द्वारा स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति, मुख्य संरक्षक ट्रस्टी द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है अथवा संचालित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/अस्थान/केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पूर्ण नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता खोला या संचालित किया जा सकता है। इस विधि में ट्रस्ट

Principal

21/11/2018

Manager

S108

S184

20

6-9-16

Handwritten signature

20

वॉरंट	सिफ्तारी
दि. 21 JUN 2016	#
पु.स. 1/1	



5109

5184

20

6-9-16

[Handwritten signature]

20

परिष्कारित
21 JUN 2018
महाराष्ट्र





उत्तरांचल UTE / KRA/TECH

26

30AA 140201

अध्यक्ष/मुख्य संस्थाक ट्रस्टी द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाला खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

20. न्यास/ट्रस्ट के अभिलेख - न्यास/ट्रस्ट के अभिलेख निम्नलिखित होंगे।

1. कार्यवाही रजिस्टर।
2. सदस्यता रजिस्टर।
3. स्टाफ-रजिस्टर।
4. कौशलबुक आविष्कार
5. आय-व्यय रजिस्टर।

21. ट्रस्टी (न्यास) के आय-व्यय के आय-व्यय का लेखा परीक्षण-

प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार योग्य आडिटर से संस्था के आय-व्यय का लेखा परीक्षण किया जायेगा। जिसकी नियुक्ति ट्रस्ट द्वारा की जायेगी।



21/11/2025 दिने





संख्या:

27

03A0 866401

22. विधिक कार्यवाही -

यदि संस्था / ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या इसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो मुख्य संरक्षक ट्रस्टी की अनुमति से न्यायालयों में पैरवी एवं अधिवक्ता की नियुक्ति अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

23. सम्पत्ति सम्बन्धित-

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।
2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख विलेख बनाने हेतु मुख्य संरक्षक ट्रस्टी किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।

21/11/2015 लि. ६



5110
6-9-16
5184
[Signature]

वारंट कोषाधिकारी
* * * * *
23 AUG 2016 * * * * *
गाजीपुर * * * * *



भारतीय अर न्यायिक

दस
रुपये
रु. 10



TEN-
RUPEES
Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

28

0730 966402

3. ट्रस्ट का मुख्य संस्थाक ट्रस्टी ट्रस्ट की ओर स चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतः समर्थ एवं अधिकृत है।
4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति का कय-विकय कर सकता है, रेशन रख सकता है किराये पर रख सकता है अथवा ले सकता है। इसकी लिए मुख्य संस्थाक ट्रस्टी स्वतंत्र है।
5. ट्रस्ट किसी ऋण, दान, उपहार, गेंट, सिम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, सन्निध्य आदि को ग्रहण कर सकता है और दे सकता है।
6. ट्रस्ट अपने धन को किसी बैंक, मुस्था, कम्पनी आदि भी किसी योर्विना में सम्पत्ति विनियोजित कर सकता है।
7. ट्रस्ट के सभी अभिलेख मुख्य ट्रस्टी के पास रहेंगे या मुख्य ट्रस्टी द्वारा नियुक्त सदस्य के पास रहेंगे।
8. ट्रस्ट के सम्बन्धित सभी प्रकार के पत्र व्यवहार मुख्य ट्रस्टी या ट्रस्टी द्वारा नियुक्त सदस्य के अधोहस्ताक्षरित से होगा।

21/11/2024 लिख



5111

5184

10
6-9-16

[Handwritten signature]

घरिष्ट कोषाधिकारी
* * * * *
23 AUG 2016
* * * * *
गार्गीपुर



भारतीय नैर न्यायिक

दस
रुपये

रु. 10



TEN
RUPEES

Rs. 10

INDIA NON JUDICIAL

24. संशोधन-

29

03AD 866405

ट्रस्ट के वर्तमान नियमों में यदि किसी प्रकार के संशोधन की आवश्यकता महसूस होने पर साधारण सभा की बैठक में बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जा सकेगा। साधारण सभा की बैठक में बहुमत के अन्तर्गत पर किये गये सभी संशोधन सर्वमान्य व अंतिम माना जायेगा।

25. आकस्मिक व्यवस्था-

ट्रस्ट के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत की जायेगी।

26. यह कि यह ट्रस्ट व्यक्तिगत है।

21/11/2018 दिनांक



S112

S184

10
6-9-16

[Handwritten signature]

वारंट कोषाधिकारी	
* * *	28 AUG 2016
	गाजीपुर





27. विशेष—

05AD 198196

इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था/उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं। परन्तु यदि वह इस प्रलेख श्री प्रहलाद मोनोरियल ट्रस्ट, हरपुर जमनगिरी गाजीपुर के उद्देश्यों एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

यह ट्रस्ट सामाजिक जनकल्याण, शैक्षिक विकास एवं चैरिटेबुल कार्य हेतु है जो धर्म, जाति व रंग संभेदाय और राजनिधि से उपर उठकर कार्य करेगी।

21/11/2018



S113 S184

10

6-9-16

[Handwritten signature]

20

धरिष्ट कोषाधिकारी	
*	*
*	*
*	*
गाजीपुर	






31

अतः हम मुख्य संरक्षक ट्रस्टी/निष्पादनकर्ता इस न्यास विलेख पत्र में वर्णित सभी तथ्यों को खूब पढ़ने गढ़वाकर सुनने व इसके विधिक प्रभाव को समझकर स्वस्थ मस्तिष्क से बिना किसी जोर-पुर्जा प्रभाव से तहरीर व तकमील कर समस्त गवाहान अपना हस्ताक्षर बनाकर यह न्यास विलेख पत्र निष्पादित कर दिया ताकि क्वत्त जरूरत पर काम आवे एवं प्रमाण रहे। मुख्य संरक्षक ट्रस्टी भारतीय नागरिक है व मुख्य संरक्षक ट्रस्टी का प्रमाणित फोटो चेहरे से निकाल करके दस्तावेज पर चस्पा है।

अपने 30/11/18



5114 5184

10
6-9-16

[Handwritten signature]

वरिष्ठ कोषाधिकारी	
*	*
*	*
*	*
गाजीपुर	





32

दिनांक-09/09/2016

0547-198198

मु. नाम (अवकाश), तहसील जमानिया।

09/09/2016

दाहकर्ता- सुरेश चंद्र

श्री 334 सिंह
हस्ताक्षर मुख्य संस्थापक

साक्षीगण 1 श्री 334 सिंह मुख्य संस्थापक
श्री 334 सिंह, जमानिया

साक्षीगण 2 श्री 334 सिंह मुख्य संस्थापक
श्री 334 सिंह जो जमानिया जी 334



10/5
6-3

5184

[Handwritten signature]


20

धरिष्ठ कोषाधिकारी	
* 08 AUG 2018 *	
* गाजीपुर *	

आवक निलंबित 00/09/2016 से
 पंजी सं. 4 15
 फल सं. 129 192 पर कर्षण 50
 माली/कर्मचारी विभाग

परिष्कारण अधिकारी के स्वाक्षर

ज्ञानेश्वर बहादुर सिंह
 उपनिबन्धक
 जमानिया
 08/08/2018



63

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

₹.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES



CO 452950

रजिस्ट्रार न्यायाधीश
उत्तर प्रदेश UTIAR PRADESH
दि 05 DEC 2017 ***
गाजीपुर

21/12/2017

पुरस्क विलेख

श्री प्रहलाद मेमोरियल ट्रस्ट, हरपुर जमानियाँ गाजीपुर...

श्री रामचंद्र सिंह पुत्र स्व प्रहलाद सिंह यादव सचिव हरपुर पोस्ट जमानियाँ कस्बा
तहसील जमानियाँ जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश संस्थापक/सुख्य संरक्षक ट्रस्टी श्री प्रहलाद
मेमोरियल ट्रस्ट, हरपुर जमानियाँ गाजीपुर।

राम चंद्र सिंह



4021

6-12-17

संभव

य

राजस्थान के युवा सेवा, जयपुर

राजस्थान

जयपुर

राजस्थान

राजस्थान

संभव



राजस्थान

राजस्थान



राजस्थान

राजस्थान

राजस्थान





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 093140

श्री का अधिकारी

23 NOV 2016
श्री रामप्रसाद सिंह पुत्र श्री प्रहलाद सिंह चरण लखिम हरपुर पोस्ट जमानियाँ
जिला गाजीपुर उत्तर प्रदेश ने श्री प्रहलाद मेमोरियल ट्रस्ट,
हरपुर जमानियाँ गाजीपुर को भारतीय न्याय अधिनियम 1982 के अन्तर्गत रजिस्टर्ड
करता है जो उपनिबन्धक कार्यालय जमानियाँ गाजीपुर के बही संख्या 4 दिव्य संख्या
15 पृथी संख्या 129 से 192 पर क्रमांक 50 पर दिनांक 09.09.2016 को
पंजीकृत है।

जून न्याय विभाग के वाइसराय से सम्बन्धित विम्बलिखित अंग भूट जता है

जिसके तौर अंग ट्रस्ट में कुछ चाराएँ बसयी जा रही है जो अंग ट्रस्ट के चार 5 के
जारी है।

श्री रामप्रसाद सिंह



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये

रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES

Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 093141

पारलक्ष दस्तावेजी

5/10/20

इस दस्तावेज के अन्तर्गत संघलित/असंघलित किराने संस्था/विद्यालय के

★ 29 नवंबर 2020 संस्था/विद्यालय में निम्नलिखित प्रतिबंध होगा:-

राजीपुर

क	विद्यालय के प्रबंध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य हो	हो
ख	विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उचित उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद/बैसिक शिक्षा परिषद द्वारा संघलित विद्यालयों में विभिन्न कैटेगरी के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जाएगा।	हो
ग	संस्था कुछ अन्य प्रकार से कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी और यदि पूर्ण में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मांगता प्राप्त है, तथा विद्यालय की सम्बन्धित स्कूल बोर्ड ऑफ सेलेक्टेड स्कूल एजुकेशन, नई दिल्ली/ कार्डिनल फादर वी इन्फिन्स स्कूल इन्फिन्सिबल इन्फरमिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होने की विधि से परिषद से मांगता और अन्य प्रकार से अनुदान प्राप्त होगा हो जाएगा।	हो



21/11/2020







उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 093142

रिश्त कोमन्धिकारी
 7.9 NOV 2017
 गाजीपुर

★	संस्था के सिलक तथा सिडोपेक्टर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से सम वेतनमान तक अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।	हैं
II	कर्मचारियों की सेवा नहीं बढ़ायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त असासकीय उच्चशिक्षण के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतननियुक्ति तक उपलब्ध कराये जायेंगे।	हैं
III	राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।	हैं
IV	विद्यालय का रिजर्व निर्धारित प्रपत्र-पंक्तिधरों में रखा जायेगा।	हैं
V	उक्त हर्तों में बिना हासन के पूर्णमुन्य के कोई परिचालन/परिवर्द्धन/संशोधन नहीं किया जायेगा।	हैं

21 नव 2017



4024

4021

~~1000~~

6-12-17

~~1000~~





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 093143

रेष्ठ कोषाधिकारी

विद्यालय/संस्था/प्रबंध समिति को विमान/सातन के सभी प्रतिबंध कम कर लेने के लक्ष्य

29 NOV 2017

राजीपुर

एक पन्ने एवं मुक्तिर बहिश्चित संस्थापक/मुख्य इस्टी/ प्रधान न्यायी यह पत्रक विलेख

खुद लेव व समझकर इसके विधिक प्रभाव को समझकर तहरीर कर दिया कि समस्त छे

यह समस्त दूर काम आवे अतः अतः पत्रक विलेख मूल न्याय विलेख की प्रहलाद मेमोरियल

इस्ट. इत्युक्त जमाखिर्वा राजीपुर की अंत व भयत समझा जावेगा मूल विलेख को स्वतंत्र

में कोई परिवर्तन न करने हुए पत्रक विलेख द्वारा अन्य विवरणों का समावेश किया गया

है।

217 335 मिर्



4025

4021

~~1000~~

6-12-17

[Handwritten signature]
20



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

एक हजार रुपये
रु.1000

ONE THOUSAND RUPEES
Rs.1000

उत्तर प्रदेश UTTAH PRADESH

AZ 093144

डॉ. का. अधिकारी

28 NOV 2017



माजीपुर

इसकी प्रस्ताव मेमोरियल इस, हरपुर जमानिया गाजीपुर डिपार्ट 09,
09.2016 में कम्पा दो लाख एक हजार रुपी समाकर इस की स्थापना किया
गया जिसका यह पृष्ठक मिलेक है।

मुक्ति भारतीय नागरिक है यह मुक्ति का प्रमाणित कोटे केहरे से सिद्धांत करते
दस्तावेज पर कम्पा है।

राज अजै-सिंह



4026

4021

1000

6-12-17

मुद्रांक

[Handwritten signature]



भारतीय गैर न्यायिक

पचास

रुपये

₹ 50

FIFTY
RUPEES

RS. 50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BN 539291

तारीख-08.12.2017

मु. एनाम एडो

मसफियादस्ता- मु० एनाम एडो जमानियां जालीपुर।

लफावस्ता- सुरेश कुमार

216/336 बिंर
हस्ताक्षर संस्थापक/मुख्य दफ्ती

अवक - एनाम एडो मु. राम सेवक
214C एनाम एडो जालीपुर

अवक - महाश्रीमति एनाम एडो हस्ताक्षर श्री. वि. प्रसाद
हस्ताक्षर जमानियां जालीपुर



4629

4621

SD

6-12-17

[Handwritten signature]

वरिष्ठ कोषाधिकारी

*** 07 NOV 2017 ***

गाजीपुर

आवक संख्या 06/12/2017 की कोषाधिकारी

आवक संख्या 19 आगमना 200 - 2

200 का अर्थ 02

विशेष विवरण

वित्तियोग्य अधिकारी के आदेश

[Handwritten signature]

अध्यापक (अर्थ) वित्तियोग्य अधिकारी,
गाजीपुर

आ. विवरण : अर्थियोग्य

गाजीपुर

